

न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बर्डजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 130 / 2018 / (2018 / 00130) जिला-नागौर

रामचन्द्र पुत्र स्व० गीधाराम जाति यादव निवासी मुण्डघसोई तहसील नांवा जिला नागौर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र स्व० गीधाराम
2. दूलाराम पुत्र स्व० गीधाराम
3. बोदूराम पुत्र स्व० गीधाराम
समस्त जाति यादव निवासी मुण्डघसोई तहसील नांवा जिला नागौर।
4. पांची देवी पुत्री स्व० गीधाराम पत्नी श्रीराम जाति यादव निवासी देवा का बास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
5. धापू देवी पुत्री स्व० गीधाराम पत्नी मदनलाल जाति यादव निवासी भगवानपुरा तहसील नांवा जिला नागौर।
6. सोहनी देवी पुत्री गीधाराम पत्नी भागीरथमल जाति यादव निवासी भगवानपुरा तहसील नांवा जिला नागौर।
7. बालूराम पुत्र पोखर तथाकथित पुत्र गीधाराम
8. मूलाराम पुत्र पोखर तथाकथित पुत्र गीधाराम
9. श्रवण पुत्र पोखर तथाकथित पुत्र गीधाराम
समस्त जाति यादव निवासी मुण्डघसोई तहसील नांवा जिला नागौर।
10. कमला देवी पुत्री पोखर तथाकथित पुत्री स्व० गीधाराम पत्नी रामनाथ यादव जाति यादव हाल निवासी देवा का बास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
11. तहसीलदार नांवा जिला नागौर।

-----प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956,
विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर
दिनांक 13-06-2018 अन्तर्गत अपील संख्या 59/2017
बउनवान रामचन्द्र बनाम तहसीलदार, नांवा व अन्य

- उपस्थित—
1. श्री राकेश अरोड़ा अभिभाषक अपीलार्थी एवं रामचंद्र यादव
 2. श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 7, 8 व 10

निर्णय

दिनांक:— 12.03.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम नोलासिया की विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 54, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 105 कुल किता 10 रकबा 31.53 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा जो कि स्व0 गीधाराम के नाम दर्ज था। स्व0 गीधाराम ने अपने 1/4 हिस्से की स्वअर्जित आराजियात की वसीयत उसके पुत्र एवं पुत्रियां कमशः हनुमान, दूलाराम, बोदूराम, रामचन्द्र पांची, घापू, सोहनी के नाम दिनांक 30-11-2012 को निष्पादित की। श्री गीधाराम की मृत्यु 4-7-2014 को होने पर वसीयत के आधार पर तहसीलदार, नांवा को स्व0 गीधाराम के उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। तहसीलदार, नांवा ने नामान्तरकरण संख्या 395 दिनांक 14-7-2017 को विरासत के आधार पर स्वीकृत कर दिया। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज कर नामान्तरकरण संख्या 395 दिनांक 14-7-2017 की पुष्टि की है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य-मुख्य तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजियात कुल रकबा 31.53 हैक्टर वाके ग्राम नोलासिया में से 1/4 हिस्सा स्व0 गीधाराम के नाम दर्ज था। प्रत्यर्थी संख्या 7 लगायत 10 जिनका विवादग्रस्त आराजियात से कोई सरोकार नहीं है ना ही वह गीधाराम के वारिस है। पारिवारिक समझौता वर्ष 1997 जरिये बेचान पत्र बिना प्रतिफल के रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 द्वारा ईश्वर से उसके हिस्से की आराजियात को प्राप्त किया है। अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 के पिता पोखर जिनके हिस्से की आराजी दत्तक पुत्र ईश्वर के हक में निहित हो चुकी थी जिसकी लिखावट भी 11-10-2002 को एक स्टाम्प कीमत 100/- रूपये में की गई और रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के हस्ताक्षर व सहमति दी गई। उक्त आराजियात के खसरा नम्बर 93 व 95 में जो गीधाराम का हिस्सा है उसमें किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रहेगा उक्त तथ्यों को छिपाते हुए गीधाराम के कानूनी वारिस नहीं होते हुए भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 द्वारा स्वयं के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 395 दिनांक 14-7-2017 स्वीकृत करवा लिया।

बहस के दौरान उन्होंने यह भी कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 जो कि पोखर के वारिस है एवं पोखर की मृत्यु 1962 में होने के उपरान्त पत्नी मोहरी भूरा पुत्र लादू के नाते जाने के उपरान्त वही रही है।

अवैधानिक रूप से गीधा का वारिस होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 395 में अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के नाम स्वीकृत किये जाने में त्रुटि कारित की है। पारिवारिक सजरे अनुसार लादू के चार पुत्र कमश कान्हा, पोखर, गीधा व भूरा हैं। पोखर पुत्र लादू सन् 1962 में फौत होने के उपरान्त उसकी पत्नी मोहरी भूरा के नाते आयी एवं भूरा के साथ ही रही जिससे बालू (प्रत्यर्थी संख्या - 7), मूला (प्रत्यर्थी संख्या - 8) और श्रवण (प्रत्यर्थी संख्या - 9) पुत्र हुए। अवैधानिक रूप से गीधा के वारिस के रूप में बनकर इनके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 395 स्वयं के नाम अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के साथ सम्मिलित रूप से स्वीकृत कराया गया। चूंकि गीधाराम पुत्र लादू को प्रत्यर्थी संख्या - 7 से 8 व उनकी माता मोहरी देवी पर प्रारंभ से ही यह अंदेशा हो गया था कि वे गीधाराम के नाम के गलत अंकन को आधार बनाकर नाजायज फायदा उठाकर गीधाराम के विधिक वारिसान को उनके हक व अधिकारों से वंचित कर सकते हैं अतः इस बाबत गीधा द्वारा स्वयं के जीवनकाल में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जिसकी जानकारी भी पूर्व सरपंच को रही है एवं अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में स्वीकृत वसीयत सरपंच को देने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा अवैधानिक रूप से वारिस प्रमाण पत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के पक्ष में जारी किया गया है एवं उक्त आधार पर पटवारी हलका को पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी गलत रूप से रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के नाम स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजियात को पैतृक सम्पत्ति होना वर्णित करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के पक्ष में फर्जी दस्तावेज के आधार पर गीधाराम की वल्दियत का होना वर्णित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत पैतृक भूमि होना वर्णित करते हुए प्रत्येक आसामी का प्रत्येक इंच पर हिस्सा माना है जबकि उक्त आराजियात लादू खातेदार के द्वारा काना, पोखर, गीधा भूरा के पक्ष में पंजीकृत बख्शीखनामा दिनांक 24-3-65 को निष्पादित कर दी गई जिसके आधार पर चारों ही व्यक्तियों के नाम पृथक-पृथक स्वअर्जित आराजियात के रूप में चली आ रही है। इस प्रकार खातेदार गीधा द्वारा स्वयं की स्वअर्जित आराजियात बाबत वसीयतनामा अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में निष्पादित किया गया है जिसके आधार पर अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 वारिस होने से उक्त वसीयतनामे के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने के अधिकारी है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार लादू की मृत्यु 1968 में हुई एवं इसके पश्चात उसके सजरे अनुसार विधि वारिसान में उसके चारो पुत्र अपने-अपने हिस्से की आराजियात पर काबिज है, लादूराम की पत्नि बरजी देवी की मृत्यु 1985 में हुई। लादूराम द्वारा एक पंजीकृत बख्शीखनामा अपने चारों पुत्रों (1) कान्हा, (2) पोखर, (3) गीधा, (4) भूरा के नाम से 24-03-1965 को ही पंजीकृत करवा दिया गया था। पोखरराम की पत्नी मोहरी देवी एवं उसका दत्तक पुत्र ईश्वरराम और लादूराम का पुत्र भूराराम शामिल रूप से रहते थे जो लादूराम से प्राप्त 1/2 हिस्से पर काबिज हुए। इसके पश्चात

1977 में मोहरी देवी द्वारा गोद पुत्र ईश्वरराम को उक्त आराजियात से बेदखल कर दिया गया। ईश्वर राम द्वारा पोखरराम के हिस्से में से 1/2 हिस्सा अपने पास रखा एवं 1/2 हिस्सा मोहरी देवी को संभलाया। 1995 में ईश्वरराम ने उक्त आधे हिस्से का बेचाननामा भी मोहरी देवी के पुत्रों रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के पक्ष में निष्पादित कर दिया तब से उक्त आराजियात में उक्त हिस्से पर भूरा के सानिध्य में रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 काबिज है। जिस बाबत समस्त दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी गीधा का वारिस होना अंकन करते हुए नामान्तरकरण संख्या 395 दिनांक 14-7-2017 को अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के साथ सम्मिलित रूप से स्वीकृत किया गया है जो निरस्त योग्य था। विवादग्रस्त आराजियात के सन्दर्भ में रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 द्वारा स्वयं को गीधाराम का वारिस होना वर्णित करते हुए राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा, असथाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा सिटी के समक्ष वाद संख्या 92/2014 बालूराम बनाम श्रवणलाल दिनांक 30-7-2014 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें गीधाराम पुत्र लादूराम द्वारा किये गये वसीयतनामे को शून्य घोषित कर स्वयं के नाम बहिस्सा बराबर अंकन कराये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया। उक्त वाद पत्र के विचाराधीन रहते एवं स्थगन होते हुए भी प्रत्यर्थी संख्या 7 लगायत 9 द्वारा अवैधानिक रूप से स्वयं के नाम उक्त आराजियात बाबत नामान्तरकरण संख्या 395 में स्वयं का नाम अंकन कराया गया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि गीधाराम की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 395 अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के साथ रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के पक्ष में भी स्वीकृत किया गया है जबकि खातेदार गीधाराम द्वारा अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम ही वसीयतनामा निष्पादित किया गया था उक्त वसीयतनामा के बाबत नामान्तरकरण स्वीकृति हेतु तहसीलदार नांवा के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहा है जिसकी जानकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 को रही है। इसके बावजूद वसीयतनामों को दरकिनार करते हुए रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 10 के नाम सम्मिलित कर नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-6-2018 को निरस्त किये जाने एवं नामान्तरकरण संख्या 395 दिनांक 14-7-2017 को अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 01 से 06 के हिस्से तक बहाल रखा जाकर शेष प्रत्यर्थी संख्या 7 से 10 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण अस्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फर्द दस्तावेज के साथ दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी। कुछ न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये यथा :-

- (1) शेरजंग बनाम आशा देवी 2002 आर.आर.डी. पेज 328 – जहां नामांतरकरण हेतु विवाद मृतक के विधिक वारिसानों (L.R.) व वसीयत के हिताधिकारी के मध्य हो, तो तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण विधिक वारिसानों के हक में कर देना शक्तियों का दुरुपयोग करना है ।
- (2) लाडा बनाम बीरबल व अन्य 2002 आर.आर.डी. पेज 338 – राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.5(21) राज-4/80/35 दिनांक 04.09.1982 के अनुसार अविवादित नामांतरकरण को तस्दीक करने की शक्तियों संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रदान की गयी है एवं यदि 45 दिन तक संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो ये शक्तियों संबंधित तहसीलदार को प्राप्त हो जाती हैं ।
- (3) खेता बनाम रघुनाथराम 2002 आर.आर.डी. पेज 280 – नामांतरकरण की कार्यवाही सरसरी होती है जिसमें किसी के स्वत्व निर्णित नहीं होते हैं । राजस्थान में वसीयतनामों की रजिस्ट्री व प्रोबेट आवश्यक नहीं हैं ।
- (4) ग्यारसीराम व अन्य बनाम श्रीलाल व अन्य 2005 आर.आर.डी. पेज 160 – पूर्व पति से उत्पन्न संताने पूर्व विवाह के पति की संपत्ति के वारिस नहीं हो सकते ।
- (5) बंशी बनाम नारायण व अन्य 2004 आर.आर.डी. पेज 115 – कोई व्यक्ति किसी की वैध संतान है या नहीं, को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों के बजाय सिविल न्यायालयों को कई अधिक है ।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण संख्या 7 से 10 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात गीधाराम के नाम खातेदारी हक से दर्ज रही है। स्व0 गीधाराम की मृत्यु 4-7-2014 को हुई है। स्व0 गीधाराम के जायन्दा पुत्र एवं पुत्रियां रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 10 है। यह गलत है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 से 10 के पिता पोखर पुत्र लादूराम हुए है। पोखर दत्तक पुत्र ईश्वर के संबंध में तथ्य गलत है। ईश्वर के गोद संबंधी कोई विधिक दस्तावेजात नहीं है। न ही सक्षम न्यायालय से इस बाबत कोई घोषणा ही हुई है। पारिवारिक समझौते के अनुसार यदि कोई जमीन प्राप्त हुई है और हमारे द्वारा क्रय की गई है जो हमारे द्वारा क्रय शुदा भूमि है जब तक विवादग्रस्त आराजियात का विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत प्रत्येक आसामी का प्रत्येक खाते पर हिस्सा माना गया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 से 10 गीधाराम के जायन्दा पुत्र है जिसके प्रमाण स्वरूप मतदाता सूची, राशन कार्ड, पहचान पत्र आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र स्कूल के समस्त दस्तावेजात पर स्व0 गीधाराम का नाम दर्ज है। विवादित आराजियात पैतृक है जिसमें विधिक वारिसों को वसीयत 4-12-2012 अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर जायज अधिकारों से वंचित रखने मात्र बाबत एक झूठी कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फर्द दस्तावेज के साथ दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गयी । कुछ न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये यथा :-

1. RRT 2003 (1) पेज 650 से 653 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एसबी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1336/2001 निर्णय दिनांक 21-1-2003 जेट्टू सिंह बनाम भंवर सिंह व अन्य
2. RBJ (11) 2004 पेज 610 से 614 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी/एलआर/25/2003/अजमेर निर्णय दिनांक 6-9-2004 श्रीमति रक्षा देवी बनाम पशुपति नाथ
3. RLW 2009 (1) RJ पेज 133 से 136 बृजसुन्दर व अन्य बनाम कमलेश कुमार व अन्य

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वाके ग्राम नोलासिया की विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 54, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 105 कुल कित्ता 10 रकबा 31.53 हैक्टर के मूल खातेदार लादू थे जिनके चार पुत्र क्रमशः कान्हा, पोखर, गीधा, भूरा थे। लादूराम ने दिनांक 24-3-1965 को एक पंजीकृत बख्शीशनामा अपने चारो पुत्र के नाम पंजीकृत कराया है जिसके आधार पर प्रत्येक पुत्र के हिस्से में 1/4-1/4 हिस्सा भूमि हिस्से में आयी। चारो पुत्र अपने अपने हिस्से की आराजियात पर काबिज हुए। स्व० गीधा ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की 1/4 आराजी का वसीयतनामा दिनांक 30-11-2012 को उसके चार पुत्र क्रमशः हनुमान, दूलाराम, बोदूराम, रामचन्द्र और जायन्दा तीन पुत्रियां पांची देवी, धापू देवी, सोहनी देवी के नाम निष्पादित किया। पारिवारिक सजरे अनुसार रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 से 10 क्रमशः बालू, मूला श्रवण भूरा के पुत्र है मोहरी पोखर की पत्नी थी जो पोखर की मृत्यु के बाद भूरा के नाते चली गई, कमला पोखर की पुत्री है। मोहरी कभी भी गीधा के नाते नहीं गई न ही गीधा की पत्नी है गीधा की पत्नी कानी है जो तत्समय जीवित थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी को रखना कानूनन मान्य नहीं है। जबकि गीधा पुत्र लादू द्वारा अपने स्वयं के हिस्से की आराजियात बाबत एक वसीयत नामा अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 6 के पक्ष में निष्पादित कर दिया था जिसके आधार पर तहसीलदार को नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिए। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के तहत अविवादित नामान्तरकरण को तस्दीक करने की शक्तियां संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदत्त की गई है एवं यदि 45 दिवस तक संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो ये शक्तियां संबंधित तहसीलदार को हस्तांतरित हो जाती है एवं नामान्तरकरण संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है लेकिन उक्त प्रकरण में संबंधित ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण वास्ते तस्दीक पेश ही नहीं हुआ है एवं प्रकरण अविवादित होने पर भी तहसीलदार नांवा के समक्ष सीधे ही प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा तस्दीक किया गया है जिससे तहसीलदार नांवा द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 395 क्षैत्राधिकार में नहीं होने से निरस्तनीय है।

विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार लादू के द्वारा विवादग्रस्त आराजियात को अपने चार पुत्र काना, पोखर, गीधा एवं भूरा के पक्ष में पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 24-3-1965 को निष्पादित कर दिया था जिसके आधार पर चारों ही पुत्रों के नाम पृथक-पृथक स्वअर्जित आराजियात के रूप में चली आ रही है एवं खातेदार गीधा पुत्र लादू ने अपने 1/4 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि की वसीयत अपने चार पुत्र एवं तीन पुत्रियों को उनका विधिक वारिसान होने से वसीयत उनके नाम कर दी है जिसमें अन्य भाईयों के पुत्र एवं पुत्रियों का कोई हक एवं अधिकार नीहित नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य में वसीयत के आधार पर प्रोबेट लिया जाना कतई आवश्यक नहीं है। वसीयत का पंजीकृत होना भी आवश्यक नहीं है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है तथा नामान्तरकरण कार्यवाही से कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं होते तथा स्वामित्व स्थापित करने के लिए संबंधित पक्षकार को सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद दायर कर लाभ प्राप्त करना चाहिये तथा यह भी उचित है कि यदि वसीयत सन्देहास्पद एवं फर्जी है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने हेतु चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 39 के तहत कोई खातेदार आसामी अपनी भूमि क्षेत्र में अपने हित या हितान्ध को उस व्यक्तिगत कानून के तहत जिसके वह अधीन है, अंतिम इच्छा पत्र के द्वारा वसीयत में दे सकता है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के अनुसार यदि कोई हिन्दु व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का निस्तारण अपनी इच्छा अनुसार करने का हकदार हो तो वह अपनी सम्पत्ति का इच्छा पत्र या अन्य वसीयत व्ययन कर सकता है। पैतृक सम्पत्ति के संबंध में ऐसी रिलीज डीड पिता के जीवनकाल में ही जारी की जा सकती है जबकि स्वअर्जित सम्पत्ति के संबंध में पिता की मृत्यु के पश्चात ही ऐसा संभव है। यह आवश्यक नहीं है कि वसीयत पंजीकृत हो। अपंजीकृत वसीयत होने मात्र से उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। विवादग्रस्त आराजियात पर प्रत्येक पक्षकार का अपना-अपना हिस्सा निहित होने से भूरा के पुत्र बालू मूला श्रवण का कोई हक अधिकार निहित नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध सहमति पत्र दिनांक 11-10-2002 में रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 से 10 के हस्ताक्षर अंकित है जिसके अनुसार विवादग्रस्त आराजियात के बंटवारे का उल्लेख किया हुआ है।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। तथ्यपरक समानता होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में यथावत चस्पा होते हैं। प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। तथ्यपरक समानता नहीं होने एवं तथ्यपरक भिन्नता होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में यथावत चस्पा नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलेक्टर डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-6-2018 एवं तहसीलदार नांवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 395 दिनांक

14-7-2017 दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत व त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव उपरोक्त परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-6-2018 एवं तहसीलदार नांवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 395 दिनांक 14-7-2017 दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (अति० जिला कलक्टर) डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13-6-2018 एवं तहसीलदार नांवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 395 दिनांक 14-7-2017 विधिविरुद्ध होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, नांवा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन व अध्ययन कर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांकित 17-01-2017 व वसीयत दिनांक 04-12-2012 के आधार पर स्व० गीधा पुत्र लादू के विधिक वारिसानों की जांच कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(लक्ष्मी नारायण.मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर